संख्याः 2301(1)/सात/176–उद्योग/2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग देहरादून : दिनांकः 17 नवम्बर, 2004

विषयः वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान की जिला योजना में धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1975/बजट–08/मॉग/2004–05, दिनांकः 18.09.2004 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु उद्योग निदेशालय के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत "व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना" में रू0 39,83,000.00 (रू0 उन्तालीस लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि संलग्न विवरणानुसार व्यय किये जाने हेतु निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि व्यय उन्ही मदो में किया जाय जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हरतपुरितका के नियमों का उल्लंघन होता हो।

स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांकः 31.03.2005 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत घनराशि के विपरीत जनपदवार व्यय विवरण एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांकः 31.03.2005 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

उक्त मद में व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश में इंगित अनुपात में आने वाले केवल अपने अधिष्ठान के कार्मिकों को शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर ही दिया

जायेगा। शासनादेश की शर्तो का अनुपालन न करने का समस्त दायित्व विभागाध्यक्ष एवं संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी का ही माना जायेगा।

एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 एवं सामान्य सैक्टर की योजनाओं में नियोजन विभाग/जि0नि0 एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा परिव्यय/मात्राकरण के अनुरूप ही व्यय समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर ही किया जायेगा। अनुमोदित योजनाओं में इतर धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीषर्क, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 105–खादी ग्रामोद्योग, में संलग्नक विवरण, के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 1713/वि0अनु0–3/2004, दिनांकः 9 नवम्बर–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहे है।

भवदीय

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2301(1)/सात/176–उद्योग/2004, तद्दिनांकित :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त बजट, उत्तरांचल शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– संयुक्त निदेशक, उद्योग निदेशालय, देहरादून।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
6– वित्त अनुभाग–3
7– निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

शासनादेश संः 2301(1)/औ0वि0/176–उद्योग/2004, दि0: नवम्बर–2004 का

संलग्नकः– (धनराशि लाख में)

अनुदान संख्या–23

1–लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
00–आयोजनागत
105–खादी ग्रामोद्योग
02–अनुसूचित जाति/जनजाति कम्पोनेंण्ट के अन्तर्गत जिला योजना
03–व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान–00
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता– 9.83

2– लेखाशीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग
00–आयोजनागत
105–खादी ग्रामोद्योग
91–जिला योजना
9101–बैंक वित्त ब्याज उपादान स्वतः रोजगार जिला योजना
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता– 30.00

कुल योग– 39.83

(रू0 उन्तालीस लाख तिरासी हजार मात्र)

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।